



102

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निः - १०/१ - I-१६

प्रकरण क्र. / 2016 निगरानी

मुद्रांक २६.३.१६ क्र
मि रजा राजा चाहू क्र ५३०

शिवराज सिंह

26.3.16

50

झब्बूलाल मैना पुत्र श्री भावसिंह मीना
निवासीगण ग्रम बोरीरामपुर
तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा
म.प्र. आवेदक

बनाम

- जशोदा बाई वेवा जुगलकिशोर
निवासीगण ग्रम बोरीरामपुर
तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा
म.प्र. अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्र.05/अ-6/15-16 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है :-

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क. 209/2/क रकवा 2.090 हैक्टर में से 1.672 हैक्टर अर्थात् आठ बीघा भूमि जो ग्रम पुरागुसाई पटवारी हल्का न. 32 तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म.प्र. में स्थित है। उक्त विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदिका क.1 के नाम पर अंकित है। उक्त विवादित भूमि आवेदक के भाई जुगलकिशोर द्वारा अनावेदिका क. 1 को उसके भरण पोषण के लिये दी थी। क्योंकि अनावेदिका क.1 अस्वस्थ थी इस कारण उक्त भूमि अनावेदिका क.1 के भरण पोषण के लिये ज्ञानी तथा स्वस्थ भूमि पर आवेदक का हक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1011-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २६-०२-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">३</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	